

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 38

04.12.2023 को उत्तर के लिए

प्रदूषण का बढ़ता स्तर

38. डॉ. रामशंकर कठेरिया:
कुमारी राम्या हरिदास:
श्री रामचरण बोहरा:

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने राजस्थान सहित देश में दिन-प्रतिदिन गंभीर होती जा रही प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए कोई कदम उठाया है;
- (ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा राजस्थान सहित देश में प्रदूषण की समस्या पर काबू पाने के लिए कार्यान्वित की गई कार्य योजनाओं का ब्यौरा क्या है;
- (ग) इसके परिणामस्वरूप किस हद तक सफलता प्राप्त हुई है; और
- (घ) इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि बच्चे वायु प्रदूषण के प्रति अधिक संवेदनशील हैं और वायु प्रदूषण के कारण प्रत्येक वर्ष 6 लाख बच्चे समय से पहले मर जाते हैं, सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे एहतियाती उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री अश्विनी कुमार चौबे)

(क) से (ग)

सरकार ने राजस्थान सहित पूरे देश में वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में वर्ष 2019 में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) शुरू किया है। परिवेशी वायु में, मानव स्वास्थ्य की रक्षा के लिए अधिसूचित किए गए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) से अधिक प्रदूषक तत्वों के स्तर के आधार पर वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले शहरों की पहचान की गई है। राजस्थान के 5 शहरों (अलवर, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर और कोटा) सहित 131 वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में कार्यान्वयन के लिए शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं तैयार और शुरू की गई हैं। शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं मिट्टी और सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, नगरीय ठोस अपशिष्ट

(एमएसडब्ल्यू) जलाने, निर्माण सामग्री और उद्योगों जैसे शहर विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों को लक्षित करती हैं।

इसके अलावा, राजस्थान सहित भारत में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम **अनुबंध-I** में संलग्न हैं।

131 शहरों में से, 90 शहरों में वित्त वर्ष 2017-18 की आधार रेखा की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में वार्षिक PM10 सांद्रता में सुधार देखा गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में, 15 शहरों में PM10 के लिए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों (एनएएक्यूएस) ($60 \mu\text{g}/\text{m}^3$) को पूरा किया गया है। 131 शहरों की वायु गुणवत्ता का विवरण **अनुबंध- II** के रूप में संलग्न हैं।

(घ) विभिन्न संगठनों द्वारा समय-समय पर कई अध्ययन प्रकाशित किए गए हैं, जिनमें मॉडल और सिमुलेशन के आधार पर वायु प्रदूषण के कारण मृत्यु दर, रुग्णता, जीवन प्रत्याशा आदि का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा, ये अध्ययन द्वितीयक डेटा और छोटे नमूने से लेकर बड़ी आबादी तक के विश्लेषण के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के बहिर्वेशन पर आधारित हैं। ये अनुमान वास्तविक स्थिति को नहीं दर्शाते हैं क्योंकि देश में विशेष रूप से प्रदूषण के कारण होने वाली मृत्यु/बीमारी का सीधा सह-संबंध स्थापित करने के लिए कोई निर्णायक डेटा उपलब्ध नहीं है। वायु प्रदूषण सहित प्रदूषण के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव, विभिन्न कारकों की सहक्रियात्मक अभिव्यक्ति हैं जिनमें व्यक्तियों की खान-पान की आदतें, व्यावसायिक आदतें, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, पूर्व में स्वास्थ्य की स्थिति, प्रतिरक्षा, आनुवंशिकता आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) को वायु प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की कार्यनीति के रूप में शुरू किया गया है और राजस्थान सहित भारत में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए सरकार द्वारा उठाए गए अन्य कदमों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए उठाए गए कदमों की सूची

केन्द्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाइयां

1.0 राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम:

- राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) की शुरुआत पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन (एमओईएफसीसी) द्वारा जनवरी 2019 में की गई है, जिसका उद्देश्य 24 राज्यों के 131 शहरों (वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले और दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों) में सभी हितधारकों को विनियोजित करके वायु गुणवत्ता में सुधार करना है।
- एनसीएपी में वर्ष 2017 की आधार रेखा की तुलना में वर्ष 2024 तक PM10 की सांद्रता में 20-30 प्रतिशत तक कमी लाने की परिकल्पना की गई है। वर्ष 2025-26 तक PM10 स्तर में 40% तक की कमी लाने या राष्ट्रीय मानकों ($60\mu\text{g}/\text{m}^3$) को हासिल करने के लिए लक्ष्य को संशोधित किया गया है। .
- सभी 131 शहरों द्वारा शहर कार्य योजनाएं (सीएपी) तैयार की गई हैं और शहरी स्थानीय निकायों द्वारा कार्यान्वित की जा रही हैं।
- शहर विशिष्ट स्वच्छ वायु कार्य योजनाएं मिट्टी और सड़क की धूल, वाहन, घरेलू ईंधन, नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) जलाने, निर्माण सामग्री और उद्योगों जैसे शहर विशिष्ट वायु प्रदूषण स्रोतों को लक्षित करती हैं।
- शहर कार्य योजना की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए इन 131 शहरों को कार्य निष्पादन आधारित वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।
- इसके अलावा, सीएपी के कार्यान्वयन के लिए धनराशि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे स्वच्छ भारत मिशन एसबीएम (शहरी), कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन, किफायती परिवहन के लिए संधारणीय विकल्प (एसएटीएटी), हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण (फेम-II), नगर वन योजना आदि से प्राप्त संसाधनों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और इसकी एजेंसियों जैसे नगर निगम, शहरी विकास प्राधिकरण और औद्योगिक विकास प्राधिकरण आदि से प्राप्त संसाधनों के बीच समन्वय के माध्यम से जुटाई जा रही है।

- वायु प्रदूषण से संबंधित सार्वजनिक शिकायतों का समय पर समाधान करने के लिए सभी 131 शहरों में लोक शिकायत निवारण पोर्टल (पीजीआरपी)/हेल्पलाइन विकसित की गई है।
- वायु प्रदूषण संबंधी आपात स्थितियों में कार्रवाई करने के लिए सभी 131 शहरों द्वारा आपातकालीन अनुक्रिया प्रणाली (ईआरएस/जीआरएपी) विकसित की गई है।
- 131 शहरों में से 88 शहरों ने वित्त वर्ष 2017-18 की आधार रेखा की तुलना में वित्त वर्ष 2022-23 में वार्षिक PM10 सांद्रता के संदर्भ में वायु गुणवत्ता में सुधार दर्शाया है।

2.0 वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय:

- 1 अप्रैल, 2018 से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में और 1 अप्रैल, 2020 से देश के बाकी हिस्सों में बीएस-IV से सीधे बीएस-VI ईंधन मानकों को अपनाया गया है।
- दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाणिज्यिक वाहनों से टोल और पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार एकत्र करने के लिए दक्षिण दिल्ली नगर निगम (एसडीएमसी) द्वारा आरएफआईडी (रेडियो-फ्रीक्वेंसी पहचान) प्रणाली लागू की गई है।
- अप्रैल, 2020 से देश भर में बीएस VI अनुरूप वाहनों की शुरुआत ।
- भारी उद्योग विभाग भारत में फास्टर एडॉप्शन एंड मैनुफैक्चरिंग ऑफ (हाइब्रिड एंड) इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (फेम-II इंडिया) योजना के तहत ई-वाहनों पर सब्सिडी प्रदान कर रहा है।
- किफायती परिवहन की दिशा में संधारणीय विकल्प (एसएटीएटी) को कंप्रेसड बायो-गैस (सीबीजी) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और ऑटोमोटिव ईंधन में उपयोग के लिए सीबीजी को बाजार में उपलब्ध कराने की एक पहल के रूप में शुरू किया गया है।
- गैर-लक्षित यातायात का मार्ग परिवर्तित करने के लिए एक्सप्रेसवे और राजमार्गों का संचालन।

3.0 औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण के उपाय:

- ताप विद्युत संयंत्रों के लिए SO₂ और NO_x उत्सर्जन मानकों के संबंध में अधिसूचना जारी की गई है।
- 24 अक्टूबर, 2017 से एनसीआर राज्यों में ईंधन के रूप में पेट कोक और फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध और 26 जुलाई, 2018 से देश में आयातित पेट कोक के उपयोग पर, अनुमत प्रक्रियाओं में उपयोग को छोड़कर, प्रतिबंध।

4.0 पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय:

- 'पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और एनसीटी दिल्ली राज्यों में फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा' संबंधी केंद्रीय क्षेत्र की योजना के तहत, फसल अवशेषों के स्व-स्थाने प्रबंधन के लिए कृषि मशीनों और उपकरणों को व्यक्तिगत किसानों को 50% सब्सिडी और कस्टम हायरिंग केन्द्रों की स्थापना के लिए 80% सब्सिडी के साथ बढ़ावा दिया जाता है। वर्ष 2022 में, इस योजना को कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एसएमएम) के साथ विलय कर दिया गया है और एसएमएम को राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के साथ विलय कर दिया गया है।
- एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने दिनांक 17.09.2021 को दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे तक स्थित कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों को बायोमास आधारित पेलेट्स, टोरिफाइड पेलेट्स/ब्रिकेट्स (धान की पराली पर ध्यान केन्द्रित करके) कोयले के साथ (5-10% तक) सह-दहन करने का निदेश दिया।
- एनसीआर और निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थित कोयला आधारित कैप्टिव ताप विद्युत संयंत्रों को दिनांक 30.09.2023 तक कम से कम 5 प्रतिशत बायोमास पेलेट्स और 31.12.2023 तक कम से कम 10% बायोमास पेलेट्स का सह-दहन करने का निदेश दिया गया।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा की गई कार्रवाई

1.0 वायु गुणवत्ता निगरानी और नेटवर्क

- राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 2015 में शुरू किया गया था। दैनिक वायु गुणवत्ता बुलेटिनों के माध्यम से जनता तक जानकारी प्रसारित की जा रही है।
- परिवेशी वायु गुणवत्ता नेटवर्क : देश में 1447 परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों (516 सतत और 931 मैनुअल) का नेटवर्क है जो 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों के 516 शहरों को कवर करता है।
- केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा एक केंद्रीय नियंत्रण कक्ष संचालित किया जाता है, जिसमें PM सांद्रता, निगरानी केन्द्रों के लाइव वायु गुणवत्ता डेटा, लाइव वायु गुणवत्ता सूचकांक जैसी विभिन्न सूचनाओं की घंटे-दर-घंटे ट्रैकिंग उपलब्ध होती है। इसके अलावा, दिल्ली-एनसीआर के लिए वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान भी उपलब्ध है।
- अन्य मापदंडों के साथ-साथ एक्यूआई की निगरानी की जाती है और विश्लेषण के बाद उसे एक्यूआई बुलेटिन के रूप में वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण

के नियंत्रण के लिए तत्काल कार्रवाई पर विचार करने और निर्णय लेने के लिए सीएक्यूएम को इसके लिंक उपलब्ध कराए गए हैं।

2.0 वाहनों में ईंधन भरने से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय

- 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में प्रतिमाह 100 कि.ली. से अधिक गैसोलिन बेचने वाले नए और मौजूदा पेट्रोल पंपों तथा एक लाख से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में प्रति माह 300 किलोलीटर से अधिक पेट्रोल बेचने वाले पेट्रोल पंपों पर वाष्प रिकवरी प्रणाली (वीआरएस) की स्थापना।
- उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार वीआरएस की स्थापना के लिए मैसर्स आईओसीएल, मैसर्स बीपीसीएल, मैसर्स एचपीसीएल, मैसर्स आरआईएल, मैसर्स शैल और मैसर्स नायरा को निर्देश जारी किए गए ।

3.0 औद्योगिक उत्सर्जन नियंत्रण के उपाय

- स्व-नियामक तंत्र के माध्यम से निगरानी तंत्र को मजबूत करने और अनुपालन को प्रभावी बनाने के लिए, सीपीसीबी ने अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों को ओसीईएमएस स्थापित करने का निदेश दिया। उद्योगों की 17 श्रेणियों के अंतर्गत 4,315 इकाइयाँ हैं, जिनमें से 3,734 इकाइयों ने ओसीईएमएस स्थापित कर लिया है और 581 इकाइयों को बंद करने के निदेश अभी भी लागू हैं।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफसीसी), भारत सरकार पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की अनुसूची-I: 'विभिन्न उद्योगों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या निस्सरण के मानक' के तहत उद्योग विशिष्ट निस्सरण मानकों को अधिसूचित करता है। अब तक, 79 औद्योगिक क्षेत्रों (56 क्षेत्रों के लिए उत्सर्जन मानकों सहित) के लिए उद्योग विशिष्ट पर्यावरण मानकों को अधिसूचित किया गया है। ऐसे औद्योगिक क्षेत्र, जिनके लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं, उन पर पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के तहत अधिसूचित सामान्य मानक लागू होंगे।
- दिल्ली-एनसीआर में लाल श्रेणी के वायु प्रदूषणकारी उद्योगों में ऑनलाइन सतत उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) की स्थापना।
- दिल्ली में औद्योगिक इकाइयों में पीएनजी/स्वच्छ ईंधन का प्रयोग शुरू हो गया है और एनसीआर में परिचालन इकाइयां पीएनजी/बायोमास से संचालित हो रही हैं।

- दिल्ली और एनसीआर में संचालित सभी ईंट भट्टों को मिश्रित तकनीक में परिवर्तित कर दिया गया है।
- सीपीसीबी ने सकल यांत्रिक शक्ति 800 किलोवाट तक के डीजल पावर जेनरेटिंग सेट इंजनों के लिए रेट्रो-फिट उत्सर्जन नियंत्रण उपकरणों (आरईसीडी) के उत्सर्जन अनुपालन परीक्षण के लिए प्रणाली और प्रक्रिया जारी की है।

4.0 पराली जलाने से होने वाले उत्सर्जन पर नियंत्रण के उपाय

- सीपीसीबी ने धान की पराली पर आधारित पेलेटाइजेशन और टॉरिफिकेशन संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए दिशानिर्देश तैयार किए हैं जो आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों का समाधान करने में मदद कर सकते हैं। यह योजना उत्तरी क्षेत्र में कृषि क्षेत्रों में धान के पुआल को खुले में जलाने की समस्या का समाधान करेगी। ईपीसी निधियों से 50 करोड़ रुपये को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कोष के पूर्ण उपयोग को मानते हुए, प्रतिवर्ष 0.5 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक धान की पराली आधारित पेलेट्स का उत्पादन होने की उम्मीद है।
- पंजाब, हरियाणा, एनसीटी दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के एनसीआर जिलों के नगर निगमों, नगर परिषदों और जिला परिषदों को केवल दाह संस्कार के लिए ब्रिकेट का उपयोग करने हेतु धान की पराली आधारित ब्रिकेटिंग संयंत्र स्थापित करने के लिए एकमुश्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- पराली जलाने की अवधि के दौरान सक्रिय आग की घटनाओं (एएफई) की दैनिक निगरानी की जाती है और उपयुक्त कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के साथ रिपोर्ट साझा की जाती है।
- नगरीय ठोस अपशिष्ट (एमएसडब्ल्यू) और निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्ट:
 - सीपीसीबी ने निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए:
 1. मार्च, 2017 में 'निर्माण और विध्वंस (सी एंड डी) अपशिष्टों का पर्यावरणीय प्रबंधन के लिए दिशा-निर्देश'।
 2. नवंबर 2017 में 'निर्माण सामग्री और निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) कचरे को संभालने में धूल शमन उपायों संबंधी दिशानिर्देश'।
 3. खुले में जलाने और लैंडफिल की आग से निपटने के लिए जैव-खनन और जैव-उपचार द्वारा पुराने अपशिष्ट के निपटान के लिए दिशा-निर्देश।

- सीपीसीबी ने 20,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाली निर्माण परियोजनाओं/स्थलों पर एंटी-स्मॉग गन के संस्थापन और पर्याप्त धूल शमन उपायों के कार्यान्वयन के लिए सभी एसपीसीबी/पीसीसी को निदेश जारी किया है।
- सीपीसीबी ने एमएसडब्ल्यू डंपसाइटों पर आग की घटनाओं के संदर्भ में एसडब्ल्यूएम नियम, 2016 के कार्यान्वयन के लिए सभी एसपीसीबी/पीसीसी को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 5 के तहत निदेश जारी किए हैं।
- ये सभी दिशानिर्देश और निदेश एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा कार्यान्वित किए जाने के लिए सीपीसीबी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

6.0 तकनीकी गतिविधियां

- पर्यावरण संरक्षण प्रभार (ईपीसी) निधियों के तहत आईआईटी, एनईईआरआई आदि जैसे प्रमुख संस्थानों के सहयोग से सीपीसीबी द्वारा अनुसंधान परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जो दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता में सुधार की दिशा में केंद्रित कार्रवाई करने के लिए वैज्ञानिक इनपुट प्रदान करती हैं। ऐसी एक परियोजना के परिणामों के आधार पर, राज्य बोर्डों को कच्ची सड़कों, भारी यातायात वाली सड़कों और निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित करने के लिए पानी के साथ-साथ धूल उपशामक का उपयोग करने हेतु परामर्शिका जारी की गई है, क्योंकि यह देखा गया है कि धूल उपशामक के अनुप्रयोग के 6 घंटे बाद तक देखा गया कि धूल की सांद्रता में लगभग 30% की कमी आई थी।
- सीपीसीबी एक दैनिक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें दिल्ली और एनसीआर शहरों की एक्यूआई, तुलनात्मक एक्यूआई स्थिति, PM सांद्रता के वर्ष-वार रुझान, दिन के लिए हॉटस्पॉट, एएफई गणना, पराली जलाने का योगदान और मौसम संबंधी पूर्वानुमान शामिल होते हैं। यह रिपोर्ट विभिन्न स्रोतों जैसे आईएमडी, एसकेएफएआर, आईएआरआई, आदि से उपलब्ध इनपुट के आधार पर तैयार की जाती है और सीपीसीबी वेबसाइट के माध्यम से प्रसारित की जाती है।

6.0 सूक्ष्म निगरानी एवं जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन

- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु प्रदूषण से संबंधित गतिविधियों के जमीनी परिदृश्य की जांच करने और उन्हें आवश्यक कार्रवाई के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को अग्रेषित करने के लिए वर्ष 2017 से सर्दियों के मौसम के दौरान लगातार सीपीसीबी की समर्पित टीमों को तैनात कर रहा है।

- दिनांक 03.12.2021 से दिल्ली एनसीआर के विभिन्न क्षेत्रों में उद्योगों, निर्माण स्थलों आदि का गुप्त निरीक्षण करने के लिए **सीपीसीबी के 40 अधिकारियों को उड़न दस्ते के रूप में तैनात किया गया है।** सीपीसीबी रिपोर्टों के आधार पर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) द्वारा बंद करने के निदेश जारी करने सहित आगे की कार्रवाई की जाती है।

7.0 नियमित हितधारक परामर्श, सार्वजनिक एवं मीडिया आउटरीच

- दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए समीक्षा बैठकों के माध्यम से उपशमन उपायों के आकलन और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारी निकायों, सार्वजनिक एजेंसियों, शहरी स्थानीय निकायों के साथ निरंतर बातचीत और समन्वय। आज की तारीख तक 41 समीक्षा बैठकें बुलाई गई हैं।
- जन-संपर्क और शिकायत निवारण के लिए ट्विटर और फेसबुक अकाउंट बनाए गए हैं। समीर ऐप और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म (ट्विटर और फेसबुक) पर शिकायतों की बारीकी से निगरानी की जा रही है। समीर और सोशल मीडिया शिकायतों का समाधान प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से किया जाता है और संबंधित एजेंसियों के साथ निवारण की स्थिति साझा की जा रही है।
- सीपीसीबी वेबसाइट पर समर्पित मीडिया कॉर्नर नवीनतम विकास और की गई कार्रवाइयों की जानकारी देता है।

8.0 विनियामक कार्रवाई

- सीक्यूएम, जिसमें सीपीसीबी भी एक सदस्य है जो सीएक्यूएम को तकनीकी इनपुट प्रदान करता है, द्वारा विभिन्न स्रोतों से प्रदूषण के नियंत्रण के लिए उपाय निर्धारित करने वाले निदेश जैसे- डीजी सेट में आरईसीडी प्रणाली/दोहरी ईंधन किट का कार्यान्वयन, उद्योगों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग, परिवहन क्षेत्र में ईवी/सीएनजी/बीएस VI डीजल ईंधन के प्रयोग की शुरुआत, निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर धूल नियंत्रण उपायों का कार्यान्वयन आदि संबंधी निदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की नीति भी बनाई गई है।
- माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 02 दिसंबर, 2016 के आदेश के अनुसरण में **विभिन्न वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) श्रेणियों के तहत कार्यान्वयन के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) तैयार किया गया था।**
- सीपीसीबी ने एक संशोधित जीआरएपी तैयार किया, जिसके आधार पर सीएक्यूएम द्वारा दिनांक 05.08.2022 को एक संशोधित जीआरएपी प्रकाशित किया गया है, जो दिनांक 01.10.2022 से

लागू हो गया है। जीआरएपी को दिनांक 06.10.2023 को फिर से संशोधित किया गया। सीपीसीबी, जीआरएपी के तहत विभिन्न प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तरदायी उप-समिति का भी सदस्य है।

10.0 अन्य कार्रवाइयां

- सड़क की धूल के कारण होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, सीपीसीबी ईपीसी निधियों के तहत सड़कों के निर्माण/मरम्मत और एंटी-स्मॉग गन और मैकेनिकल रोड स्वीपर की खरीद के लिए एनसीआर के शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को वित्त पोषित कर रहा है।
- डीजी सेट से होने वाले उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, सीपीसीबी ईपीसी निधियों के तहत दिल्ली-एनसीआर में सरकारी अस्पतालों में डीजी सेटों के रेट्रोफिटमेंट / उन्नयन के लिए वित्त पोषण कर रहा है।

एनसीएपी के तहत राजस्थान में की गई कार्रवाइयां

- राजस्थान में वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले कुल 05 शहर हैं, जिनमें से 02 शहर - **अलवर और उदयपुर** राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के तहत वित्त पोषित हैं और 03 शहर - **जोधपुर, जयपुर और कोटा** पंद्रहवें वित्त आयोग (XV-FC) के तहत वित्त पोषित हैं। .
- सभी 05 अभिज्ञात शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहरी कार्य योजनाएँ कार्यान्वयन हेतु शुरू की गई हैं।
- सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (पीजीआरएस) और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली (ईआरएस) विकसित की गई है।
- एक शहर अर्थात् जयपुर में स्रोत संविभाजन (एसए) अध्ययन पूरा हो चुका है और अन्य चार शहरों में यह प्रगति पर है। इस अध्ययन से वायु प्रदूषण में उनके योगदान के स्रोतों और सीमा की पहचान करने में मदद मिलेगी।
- राजस्थान राज्य द्वारा राज्य कार्य योजना (एसएपी) प्रस्तुत की गई है, सीपीसीबी ने इसकी समीक्षा की और अपनी टिप्पणियाँ भेजीं, संशोधित एसएपी की प्रतीक्षा है।
- यह देखा गया है कि वित्तीय वर्ष 2017-18 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजस्थान राज्य के सभी 5 शहरों में PM10 की वार्षिक औसत सांद्रता कम हो गई है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष 2021-22 की तुलना में बढ़ गई है।

- एनसीएपी के तहत, वित्तीय वर्ष 2022-23 तक राजस्थान प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 47.72 करोड़ रुपये की कुल राशि जारी की गई है और राजस्थान के 5 वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले शहरों (एनएसी) में नगर कार्य योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल 19.20 करोड़ रुपये (40.2%) का उपयोग किया गया है।
- 15वें वित्त आयोग (XV-FC) अनुदान के तहत, वित्तीय वर्ष 2020-21, वित्तीय वर्ष 2021-22 और वित्तीय वर्ष 2022-23 में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए जयपुर, कोटा और जोधपुर को कुल 489.44 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और 145.04 करोड़ रुपये (29.6%) का उपयोग किया गया है।
- इस प्रकार, वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए राजस्थान के वायु गुणवत्ता मानकों को पूरा न करने वाले शहरों (एनएसी) को एनसीएपी और XV-FC अनुदान के तहत अब तक कुल लगभग 529.57 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और इसमें से 164.25 करोड़ रुपये (लगभग 31%) का उपयोग किया गया है।

शहरों की स्वीकृत नगर कार्य योजना (सीएपी) से वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए किये गये प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:

- सड़कों को एक छोर से दूसरी छोर तक पक्का करने के साथ-साथ ब्लैक-टॉपिंग और गड्ढों से मुक्त सड़कों का अनुरक्षण करना।
- यातायात गलियारों, खुले क्षेत्रों, उद्यानों, सामुदायिक स्थानों, स्कूलों और हाउसिंग सोसाइटियों को हरा-भरा बनाना।
- प्रदूषण स्रोत और नियंत्रण उपायों के संबंध में जन जागरूकता पैदा करना।
- शहर में निर्माण और विध्वंस कचरे को संभालने के लिए कई अलग-अलग स्थान/जोन बनाना और टीपीडी में कचरा संग्रहण क्षमता निर्दिष्ट करना।
- नगरीय नालों से गाद हटाना तथा उनकी सफाई करने से उत्पन्न ठोस कचरे को उसके निपटान के लिए उठाना।
- सड़क की सतहों की नियमित सफाई और धूल के उपशमन के लिए पानी का छिड़काव।
- कचरे का नियमित संग्रहण, पृथक्करण और वैज्ञानिक निपटान।
- यांत्रिक स्वीपरों का उपयोग करके सड़क की धूल/गाद को नियमित रूप से हटाना।

अनुबंध-II

राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के अंतर्गत शामिल किये गये 131 शहरों का वायु-गुणवत्ता डेटा

राज्य	क्र.सं.	शहर	2017-2018	2022-2023	आधार वर्ष 2017-18 के अनुसार PM10 सांद्रता में प्रतिशत सुधार (%)
			PM10 की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	PM10 की औसत सांद्रता (वित्तीय वर्ष) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	
आंध्र प्रदेश	1	अनंतपुर	78	57	26.92
	2	चित्तूर	70	52	25.71
	3	एलुरु	72	66	8.33
	4	गुंटूर	66	60	9.09
	5	कडपा	75	57	24.00
	6	कुरनूल	79	64	18.99
	7	नेल्लोर	64	56	12.50
	8	ओंगोल	65	51	21.54
	9	राजमहेन्द्रवरम	85	68	20.00
	10	श्रीकाकुलम	69	71	-2.90
	11	विजयवाड़ा	91	90	1.10
	12	विशाखापत्तनम	76	116	-52.63
	13	विजयनगरम	72	75	-4.17
असम	14	गुवाहाटी	103	106	-2.91
	15	नगांव	82	121	-47.56
	16	नलबाड़ी	87	128	-47.13
	17	सिलचर	49	49	0.00
	18	शिवसागर	73	42	42.47
बिहार	19	पटना	172	193	-12.21
	20	गया	79	150	-89.87
	21	मुजफ्फरपुर	147	175	-19.05
चंडीगढ़	22	चंडीगढ़	114	116	-1.75
छत्तीसगढ़	23	कोरबा	57	70	-22.81
	24	दुर्ग भिलाईनगर	86	70	18.60
	25	रायपुर	70	78	-11.43
दिल्ली	26	दिल्ली	241	209	13.28
गुजरात	27	अहमदाबाद	164	91	44.51
	28	राजकोट	150	92	38.67
	29	सूरत	130	118	9.23
	30	वडोदरा	133	104	21.80
हरियाणा	31	फ़रीदाबाद*	229	212	7.42

हिमाचल प्रदेश	32	बद्दी	174	145	16.67
	33	दमतल	55	64	-16.36
	34	काला अम्ब	118	93	21.19
	35	नालागढ़	146	78	46.58
	36	पांवटा साहिब	84	103	-22.62
	37	परवाणू	66	47	28.79
	38	सुंदरनगर	78	46	41.03
जम्मू एवं कश्मीर	39	जम्मू	157	158	-0.64
	40	श्रीनगर*	132	88	33.33
झारखंड	41	धनबाद	315	203	35.56
	42	जमशेदपुर	135	126	6.67
	43	रांची	141	107	24.11
कर्नाटक	44	बेंगलुरु	92	68	26.09
	45	दावणगेरे	74	61	17.57
	46	गुलबुर्गा / कलबुर्गी	55	74	-34.55
	47	हुबली, धारवाड़	79	76	3.80
मध्य प्रदेश	48	भोपाल	112	124	-10.71
	49	देवास	83	105	-26.51
	50	ग्वालियर	126	145	-15.08
	51	इंदौर	82	109	-32.93
	52	जबलपुर	101	125	-23.76
	53	सागर	73	83	-13.70
	54	उज्जैन	93	111	-19.35
महाराष्ट्र	55	औरंगाबाद	75	107	-42.67
	56	अकोला	111	62	44.14
	57	अमरावती	102	68	33.33
	58	बदलापुर	160	146	8.75
	59	चंद्रपुर	118	121	-2.54
	60	ग्रेटर मुंबई	161	116	27.95
	61	जलगांव	70	66	5.71
	62	जालना	99	93	6.06
	63	कोल्हापुर	89	80	10.11
	64	लातूर	82	53	35.37
	65	नागपुर	100	97	3.00
	66	नासिक	82	62	24.39
	67	नवी मुंबई	88	102	-15.91
	68	पुणे	102	96	5.88
	69	सांगली	87	69	20.69
70	सोलापुर	81	76	6.17	

	71	थाने	138	115	16.67
	72	उल्हासनगर	153	128	16.34
	73	वसई विरार *	99	155	-56.57
मेघालय	74	बर्नीहाट	175	131	25.14
नगालैंड	75	दीमापुर	142	91	35.92
	76	कोहिमा	127	72	43.31
ओडिशा	77	अंगुल	97	98	-1.03
	78	बालासोर	84	82	2.38
	79	भुवनेश्वर	85	118	-38.82
	80	कटक	93	105	-12.90
	81	कलिंग नगर	109	104	4.59
	82	राउरकेला	99	126	-27.27
	83	तालचेर	113	93	17.70
पंजाब	84	अमृतसर	189	120	36.51
	85	डेरा बाबा नानक	79	58	26.58
	86	डेराबस्सी	88	104	-18.18
	87	जालंधर	178	126	29.21
	88	खन्ना	142	103	27.46
	89	लुधियाना	168	163	2.98
	90	मंडी/गोबिंदगढ़	148	131	11.49
	91	नयानंगल	87	63	27.59
	92	पटियाला	106	103	2.83
राजस्थान	93	जयपुर	172	143	16.86
	94	अलवर	152	116	23.68
	95	जोधपुर	189	146	22.75
	96	कोटा	139	128	7.91
	97	उदयपुर	127	128	-0.79
तमिलनाडु	98	चेन्नई	66	66	0.00
	99	मदुरै	72	68	5.56
	100	त्रिची	88	47	46.59
	101	तूतीकोरिन	123	54	56.10
तेलंगाना	102	हैदराबाद	110	83	24.55
	103	नलगोंडा	59	55	6.78
	104	पाटंचेरू	74	80	-8.11
	105	संगारेड्डी	85	86	-1.18
उत्तर प्रदेश	106	आगरा	202	118	41.58
	107	इलाहाबाद	169	125	26.04
	108	गाज़ियाबाद	285	198	30.53
	109	कानपुर	227	143	37.00
	110	लखनऊ	253	149	41.11

	111	मेरठ	159	177	-11.32
	112	वाराणसी	230	94	59.13
	113	अनपरा	175	166	5.14
	114	बरेली	207	110	46.86
	115	फिरोजाबाद	247	106	57.09
	116	गजरौला	204	194	4.90
	117	गोरखपुर	150	102	32.00
	118	झांसी	109	118	-8.26
	119	खुर्जा	195	150	23.08
	120	मुरादाबाद	222	116	47.75
	121	नोएडा	229	202	11.79
	122	रायबरेली	145	102	29.66
उत्तराखंड	123	देहरादून	250	117	53.20
	124	काशीपुर	99	112	-13.13
	125	ऋषिकेश	129	103	20.16
पश्चिम बंगाल	126	आसनसोल	147	147	0.00
	127	बैरकपुर	86	84	2.33
	128	दुर्गापुर	150	139	7.33
	129	हल्दिया	92	91	1.09
	130	हावड़ा	139	125	10.07
	131	कोलकाता	147	97	34.01

टिप्पणी: *फरीदाबाद के वायु-गुणवत्ता आंकड़ों के लिए, वित्तीय वर्ष 2020-21 के बेसलाइन आंकड़ों पर इसलिए विचार किया गया था क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बेसलाइन आंकड़ों को एकत्रित नहीं किया गया था।

*श्रीनगर के वायु-गुणवत्ता आंकड़ों के लिए, वित्तीय वर्ष 2018-19 के बेसलाइन आंकड़ों पर विचार किया गया था क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बेसलाइन आंकड़ों को एकत्रित नहीं किया गया था।

*वसई-वेरार के वायु गुणवत्ता आंकड़ों के लिए, वित्तीय वर्ष 2019-20 के बेसलाइन आंकड़ों पर विचार किया गया क्योंकि वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए बेसलाइन आंकड़ों को एकत्रित नहीं किया गया था।
